रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 276] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 19, 1977/श्रावण 28, 1899
No. 276] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 19, 1977/SRAVANA 28, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi, the 19th August 1977

G.S.R 580(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking (Revenue Wing) No. 133-Customs, dated the 1st July, 1977

[No 180/F. No 355/107/77-Cus I]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएं

सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 1977

सा० का० नि० 580(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग (राजस्व पक्ष) की अधिसूचना सं० 133–सीमा-शुल्क तारीख 1 जुलाई, 1977 को विखण्डित करती है।

[सं० 180 फा० सं० 355 107 77–सी० शु०-I]

G.S.R. 581(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) read with sub-section (4) of section 3 of the Finance Act, 1977 (11 of 1977), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interests so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking (Revenue Wing) No. 123-Customs dated the 1st July, 1977, namely:—

In the Schedule to the said notification, serial No 153 and the entries relating thereto shall be omitted.

[No 181/F No 355/107/77-Cus I]

सा० का० नि० 581(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1977 (1977 का 11) की धारा 3 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग (राजस्व पक्ष) की अधिसूचना सं० 123 सीमा-शुल्क तारीख 1 जुलाई, 1977 में निम्नलिखित संशोधन और करती है, अर्थात् —

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में से क्रम संख्या 153 और उससे सम्बद्ध प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

[सं 181 फा० सं० 355/107 77–सी० शु०-I]

G.S.R. 582(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking (Revenue Wing) No 132-Customs, dated the 1st July, 1977, namely :—

In the said notification, for the words and figures "from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon, which is specified in the said First Schedule as is in excess of 20 per cent *ad valorem*", the following shall be substituted, namely :—

"from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule as is in excess of—

(a) 50 per cent *ad valorem* where the standard rate of duty is leviable,

(b) 40 per cent *ad valorem* where the preferential rate of duty is leviable."

[No 182/F No. 355/107/77-Cus I]

M JAYARAMAN, Under Secy.

सा० का० नि० 582(अ) ——केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित मे आवश्यक है, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग (राजस्व पक्ष) की अधिसूचना सख्या 132 सीमा-शुल्क तारीख 1 जुलाई, 1977 में निम्नलिखित सशोधन करती है, अर्थात् '——

उक्त अधिसूचना मे "उक्त प्रथम अनुसूची मे विनिर्दिष्ट उस पर उदग्रहणीय सीमा-शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जो मूल्य के 20 प्रतिशत से अधिक है" शब्दों और अकों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् '——

"उन पर उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क के उतने भाग से जो उक्त प्रथम अनुसूची मे विनिर्दिष्ट है और जो निम्नलिखित से अधिक है छूट देती है :——

(क) मूल्य का 50 प्रतिशत, जहा शुल्क मानक दर पर उदग्रहणीय है ;

(ख) मूल्य का 40 प्रतिशत, जहां शुल्क अधिमानी दर पर उदग्रहणीय है।"

[सं० 182/फा० सं० 355/107/77—सी० शु०I]

एम० जयरामन, अवर सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977